उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।

रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 381/2022

कांस्टेबल नवीन सिंह और अन्य– याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य और अन्य– प्रत्युत्तरदाता

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता–श्री अरविन्द वशिष्ट,
वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता, श्री कौशल पाण्डे, सहायक अधिवक्ता
प्रत्युत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता–श्री डा0 वी0के0 जेमिनी,
उपमहाधिवक्ता एवं ब्रीफ होल्डर सुश्री मीना बिष्ट,

के साथ

रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 388/2022

सब इंस्टेपक्टर दीपक कौशिक और एक अन्य– याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य और अन्य– प्रत्युत्तरदाता

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता–श्री अरविन्द वशिष्ट,
वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता, श्री कौशल पाण्डे, सहायक अधिवक्ता
प्रत्युत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता–श्री डा0 वी0के0 जेमिनी,
उपमहाधिवक्ता एवं ब्रीफ होल्डर सुश्री मीना बिष्ट,

निर्णय

माननीय रवीन्द्र मैथानी, जे. (मौखिक)

ये दोनों याचिकाएं 2022 के प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 87, पुलिस स्टेशन किच्छा, जिला उधम सिंह नगर से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं ने प्राथमिकी को रद्द करने के साथ–साथ यह निर्देश देने की मांग की है कि याचिकाकर्ताओं को प्राथमिकी के अनुसार गिरफ्तार नहीं किया जाए।

2. पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

3. 26.02.2022 को, प्रतिवादी नं0 3 अमित कुमार, सर्कल अधिकारी, यातायात पुलिस, पंतनगर अन्य पुलिस कर्मियों के साथ गश्त ड्यूटी पर थे। उन्होंने रेत ले जा रहे कुछ ट्रकों को रोका। ट्रक भरे हुए थे। ट्रक नं. UP25BT 8215 को तौला गया, जो ओवलोडिंग था। सूचना देने वाले को अनियमितताएं मिली। प्राथमिकी के अनुसार 33 टन रेत को ओवरलोड करने के साथ–साथ रॉयल्टी की चोरी थी। (ट्रक नं. यूपी25डीटी 9325), एफआईआर के अनुसार, 3.7 टन रेत को बिना किसी रॉयल्टी के ले जाया जा रहा था। उस तारीख को कुल 52 ट्रकों (वाहनों) को रोका गया था। चालकों ने सूचना देने वाले को बताया कि वे पुलिस अधिकारियों को पैसे देकर रेत का परिवहन करने का प्रबंधन करते हैं। प्राथमिकी के अनुसार, भुगतान इस प्रकार किया जाता हैः–

(i). Rs. 500/–प्रति ट्रक/वाहन प्रभारी पुलिस चौकी, सब–इंस्पेक्टर दीपक कौशिक को पुलिस कांस्टेबल नवीन कनायक के द्वारा दिया जाता है, और,

(ii). Rs. 800–प्रति ट्रक/वाहन प्रभारी पुलिस चौकी दौराहा, याचिकाकर्ता अशोक कांडपाल को पुलिस कांस्टेबल शैलेंद्र के द्वारा।

4. पुलिस द्वारा रोके जाने के समय यह भी बताया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता शैलेंद्र और नवीन सिंह उपलब्ध नहीं हैं, तो पैसे सीधे प्रभारी पुलिस चौकी दीपक कौशिक और अशोक कांडपाल को दिए जाएं। प्राथमिकी काफी विस्तार से है, यह वाहनों आदि का विवरण देती है।

5. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि प्राथमिकी बेतुकी है, यह याचिकाकर्ताओं के खिलाफ किसी भी अपराध का खुलासा नहीं करती है। याचिकाकर्ता पुलिस अधिकारी हैं, किसी भी प्रक्रिया विशेष रूप से प्रारंभिक जांच आदि का पालन किए बिना, सीधे तौर पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपनी दलीलों में निम्नलिखित बिंदु उठाएः–

(i). प्राथमिकी के अनुसार, किसी भी व्यक्ति ने प्रतिवादी को यह नहीं बताया था कि उन्होंने उस तारीख को मुखबिर या उनमें से किसी को भी पैसे दिए थे।

(ii). प्राथमिकी में विशेष रूप से कोई समय और तारीख दर्ज नहीं की गई है, कब याचिकाकर्ताओं को पैसे का भुगतान किया गया था।

(iii). कुछ वाहनों में अनुमेय सीमा से अधिक रेत पाई गई । चालकों के इकबालिया बयानों के आधार पर याचिकाकर्ताओं को फंसाया गया है। इकबालिया बयानों की कानून की नजर में कोई मूल्य नहीं है।

6. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पुलिस जांच के साथ आगे बढ़ सकती है, उस विस्तार तक, याचिकाकर्ताओं को कोई समस्या नहीं है, लेकिन याचिकाकर्ताओं को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्य द्वारा यह स्थापित नहीं किया जाता है कि याचिकाकर्ता या उनमें से कोई भी किसी भी तरह से मामले में संलिप्त हो।

7. यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका है। यह एक प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करता है। उचित मामलों में निस्संदेह ऐसे मामलों में हस्तक्षेप किया जाता है। अधिकार क्षेत्र के प्रयोग का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांत को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई निर्णयों के आधार पर तय किया गया है। उदाहरणतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य, 1992 सपं (1) एस. सी. सी. 335 के मामले में मामलों की कुछ श्रेणियां दी गई हैं, जहां इस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जा सकता है। निर्णय के पैरा 102 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की–

> **"102. अध्याय 14 के अधीन संहिता के विभिन्न सुसंगत उपबंधों की व्याख्या और इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के अधीन असाधारण शक्ति के प्रयोग या संहिता की धारा 482 के अधीन निहित शक्तियों से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, जिन्हें हमने ऊपर निकाला और पुनः प्रस्तुत किया है, हम**

निम्नलिखित श्रेणियों के मामले उदाहरण के रूप में देते हैं, जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी न्यायालय की आदेशिका के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा सुरक्षा के लिए किया जा सकता है।

यद्यपि न्याय के उद्देश्यों के लिए कोई सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से निर्देशित और लचीले दिशानिर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित करना संभव नहीं हो सकता है और ऐसे असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं हो सकता है जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया गया हो, प्रथमदृष्टया किसी अपराध का गठन नहीं करते हैं या अभियुक्त के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।

(2) जहां प्राथमिकी के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट और अन्य सामग्रियों में आरोप, यदि कोई हो, एक हस्तक्षेप अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो संहिता की धारा 155 (2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा संहिता की धारा 156 (1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराते हैं।

(3) जहां प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए अनियंत्रित आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला बनाते हैं।

(4) जहां प्राथमिकी में एक संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं, लेकिन केवल एक असंज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, वहां संहिता की धारा 155(2) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना एक पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी जाती है।

(5) जहां प्राथमिकी आर. या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने हास्यास्पद तर्क और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं, जिसके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है) के किसी भी प्रावधान में संस्थापन और कार्यवाही जारी रखने के लिए एक स्पष्ट कानूनी बाधा है और जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान है, जो व्यथित पक्ष की कष्ट के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।

(7) जहां आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावना के साथ की जाती है औरध्या जहां कार्यवाही दुर्भावपूर्ण रूप से अभियुक्त से बदला लेने के उद्देश्य से और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसका बचाव करने की दृष्टि से शुरू की जाती है।''

8. **तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी और अन्य, (2017) 2 एस. सी. सी. 779** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग संयम और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।

पैराग्राफ 13 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार अवधारित किया है कि–

''13. इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि प्राथमिकी को रद्द करने के मामले में निहित शक्ति का उपयोग संयम से और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और जब केवल तभी जब इस तरह का अभ्यास प्रावधान में विशेष रूप से निर्धारित परीक्षण द्वारा उचित हो। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं है कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति बहुत व्यापक है, लेकिन यह कहने पर विशेष जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि व्यापक शक्ति प्रदान करने के लिए न्यायालय को अधिक सतर्क होने की आवश्यकता है।यह न्यायालय पर एक भारी और अधिक मेहनती कर्तव्य डालता है।''

9. प्राथमिकी को रद्द करने के लिए किसी भी याचिका पर विचार करना दिए गए दिशानिर्देशों के भीतर होना चाहिए। इसका उपयोग जाँच में हस्तक्षेप करने के लिए एक उपकरण के रूप में नहीं किया जा सकता है। इसका प्रयोग जांच के मामले में एक जांच अधिकारी के कानूनी रूप से स्वीकार्य अधिकार क्षेत्र में बाधा डालने के लिए नहीं किया जा सकता है।

10. यह सही है कि प्राथमिकी में यह दर्ज नहीं किया गया है कि किस तारीख तक, किसने भुगतान किया, याचिकाकर्ताओं या किसी अन्य को कितनी राशि दी गई? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संक्षेप में, ''अधिनियम'') के संबंध में प्राथमिकी धारा 8 और 9 के तहत अपराधों के लिए दर्ज की गई है। ये धाराएँ लोक सेवक को रिश्वत देने और वाणिज्यिक संगठन द्वारा लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराधों से संबंधित हैं।

11. जाँच अधिकारी हमेशा कानून की किस धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाती है, उसके द्वारा निर्देशित नहीं होता है। सच्चाई का पता लगाने के लिए उसे मामले की जांच करनी होगी कि क्या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध किया गया है। अधिनियम की धारा 8 और 9, जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, यह स्पष्ट करती है कि यह एक ऐसे व्यक्ति/संगठन को दंडित करती है जो एक लोक सेवक को अनुचित रूप से सार्वजनिक कर्तव्य आदि करने के लिए प्रेरित करने के लिए अनुचित लाभ देता है। लोक सेवक जो अनुचित या बेईमानी से सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने या करने के इरादे से अनुचित लाभ स्वीकार करता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है या ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए पूर्वाधिकार या पूर्वाधिकार का कारण बनता है, अधिनियम की धारा 7 के तहत दंडनीय है। यह न्यायालय इस स्तर पर किसी भी याचिकाकर्ता की संलिप्तता और उनमें से किसी की विशिष्ट भूमिका के संबंध में कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं कर सकता है।

12. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि आखिरकार प्राथमिकी दर्ज करने से पहले एक लोक सेवक की पूरी प्रतिष्ठा का आंकलन किया जाना चाहिए था। सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज नहीं की जानी चाहिए थी। यह अंकित किया जा सकता है कि तत्काल मामले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह सच है कि भ्रष्टाचार के मामलों में ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य, (2014) 2 एससीसी 1 के मामले में फैसले के मद्देनजर प्रारंभिक जांच की अनुमति है, लेकिन तेलंगाना राज्य बनाम मनगिपेट उपनाम मंगिपेट सर्वेश्वर रेड्डी, (2019) 19 एस. सी. सी. 87 में मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि भ्रष्टाचार के सभी मामलों में प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं है।

13. सड़क पर मिली अवैधताओं के आधार पर, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है। ट्रक रेत से भरे हुए पाए गए। प्राथमिकी में 33 टन ओवरलोडिंग दर्ज की गई थी। रेत ले जा रहे व्यक्ति ने सूचना देने वाले को बताया कि वे याचिकाकर्ताओं को एक निश्चित दर पर पैसे देते हैं। याचिकाकर्ताओं

के खिलाफ प्रथमदृष्टया अपराध बनता है। प्राथमिकी में दर्ज बयान सही हैं या गलत, यह जाँच का विषय हो सकता है। ऐसे मामलों में, इस न्यायालय का विचार है कि कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। तदनुसार, दोनों याचिकाएं खारिज किए जाने के योग्य हैं।

14. दोनों याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

(रवींद्र मैथानी, जे।)
दिनांकः 07.03.2022